बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-203
21/04/2020

मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा

- मुख्य सचिव, सचिव खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सभी जिलाधिकारियों/अनुमण्डलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यह स्पष्ट कर दें कि जीविका के माध्यम से चिन्हित सभी राशन कार्ड विहीन परिवारों को 1,000 रूपये की राशि दी जायेगी। इसको लेकर लोगों के बीच कोई भ्रम नहीं रहे।

- शहरी क्षेत्र में भी सर्वे कराकर राशन कार्ड विहीन चिन्हित परिवारों को 1,000 रूपये की मदद दी जायेगी।

- जो किसान असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति का इनपुट अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाये हैं, उनके लिये तिथि विस्तारित करने का निर्देश

- पिछले 3–4 दिनों में हुयी असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति का भी सर्वेक्षण कराने का निर्देश

पटना, 21 अप्रैल 2020 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने राशन कार्डधारियों को दी जा रही 1,000 रूपये की सहायता राशि तथा असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति हेतु दिये जा रहे कृषि इनपुट अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव, सभी जिलाधिकारियों/अनुमण्डलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यह पूरी तौर पर स्पष्ट कर दें कि जीविका के माध्यम से चिन्हित सभी राशन कार्ड विहीन परिवारों को 1,000 रूपये की राशि दी जायेगी। इसको लेकर लोगों के बीच कोई भ्रम नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 1,000 रूपये की राशि उपलब्ध कराने के बाद ऐसे सभी चिन्हित राशन कार्ड विहीन परिवारों को जॉचोपरांत राशन कार्ड निर्गत करने की भी कार्रवाई की जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि शहरी क्षेत्र में भी सर्वे कराकर राशन कार्ड विहीन चिन्हित परिवारों को 1,000 रूपये की मदद दी जायेगी। सर्वे का यह कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से जल्द से जल्द कराये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों में वितरित किया जाना वाला खाद्यान्न की गुणवता एवं उसकी तौल सही हो। यदि इसमें कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय।

फरवरी/मार्च में असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति हेतु किसानों को दिये जा रहे कृषि इनपुट अनुदान की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान असामयिक वर्षा/ ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति का इनपुट अनुदान प्राप्त करने हेतु किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाये हैं, उनके लिये कम से कम एक सप्ताह की तिथि विस्तारित की जाय ताकि वे हुयी फसल क्षति का आवेदन कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3–4 दिनों में भी राज्य के कुछ जिलों में असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि हुयी है, जिससे किसानों की फसल को क्षति हुयी है। उन्होंने निर्देश दिया कि पिछले 3–4 दिनों में हुयी असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति का भी सर्वेक्षण जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ी है किंतु उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुये लोगों का मामला है। सरकार इस पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर भ्रांति एवं अफवाह फैलाने वाले लोगों से सतर्क एवं सावधान रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आपलोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे।

*****